GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 64
TO BE ANSWERED ON THE 13TH DECEMBER, 2022

AVAILABILITY OF UG AND PG SEATS FOR MEDICAL STUDENTS

64 DR. K. KESHAVA RAO:

(a) the number of students who appeared for the NEET examination (All India Pre-Medical Entrance Test) in the last three years;

(b) the number of seats available for undergraduate and postgraduate medical students during the admission process in the last three years; and

(c) the number of seats for undergraduate and postgraduate medical students that remained vacant during the admission process in the last three years?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 64* FOR 13TH DECEMBER, 2022

(a) to (c) As per information received from National Testing Agency (NTA), the details of number of students who appeared for the NEET-UG examination in the last three years are as under:-

Year	**2022**	**2021**	**2020**
Number of students registered	**18,72,343**	**16,14,777**	**15,97,435**
Number of students appeared	**17,64,571**	**15,44,273**	**13,66,945**

The details of number of Undergraduate (UG)/Postgraduate(PG) seats available during the admission process of last three years are as under:-

Year	**UG**	**PG**
2020-2021	**83275**	**55495**
2021-2022	**92065**	**60202**
2022-2023	**96077**	**64059**

According to National Medical Commission (NMC), the number of MBBS & PG seats vacant from 2018-19 to 2021-22, year wise is as under:-

SI. No.	**Academic Year**	**Total number of seats left vacant for MBBS in UG Counselling**
1.	2021-22	197
2.	2019-20	273
3.	2018-19	274

SI. No.	**Academic Year**	**Total number of PG seats left vacant in Counselling (Year wise)**
1.	2021-22	3744
2.	2020-21	1425
3.	2019-20	4614

****

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *64
13 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की उपलब्धता

***64 डॉ. के. केशव राव:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने छात्रों ने एनईईटी परीक्षा (अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा) दी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में मेडिकल छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया के दौरान कितनी सीटें उपलब्ध रही हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों में मेडिकल छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया के दौरान कितनी सीटें खाली रह गई हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

13 दिसंबर, 2022 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 64 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) से (ग): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में नीट-यूजी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	**2022**	**2021**	**2020**
पंजीकृत छात्रों की संख्या	18,72,343	16,14,777	15,97,435
उपस्थित छात्रों की संख्या	17,64,571	15,44,273	13,66,945

पिछले तीन वर्षों की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध स्नातक (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**स्नातक (यूजी)**	**स्नातकोत्तर (पीजी)**
2020-2021	83275	55495
2021-2022	92065	60202
2022-2023	96077	64059

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक रिक्त एमबीबीएस और पीजी सीटों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:-

क्र. सं.	**शैक्षणिक सत्र**	**यूजी काउंसलिंग में एमबीबीएस के लिए खाली रह गई सीटों की कुल संख्या**
1.	2021-22	197
2.	2019-20	273
3.	2018-19	274

क्र. सं.	**शैक्षणिक सत्र**	**काउंसलिंग के दौरान खाली रह गई पीजी सीटों की कुल संख्या (वर्षवार)**
1.	2021-22	3744
2.	2020-21	1425
3.	2019-20	4614

******

ले. जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (रिटा.) : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यूजी और पीजी, खासकर पोस्ट-ग्रैजुएट मेडिकल सीट्स लगातार खाली हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन या हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों इसका स्टैंडर्ड रिलैक्स करके इन सीट्स को पूर्ण नहीं करती, ताकि देश को क्षति न हो? ...**(व्यवधान)**...

डा. भारती प्रवीण पवार : महोदय, माननीय सदस्य ने जो आशंका जताई है कि यूजी तथा पीजी की कुछ सीट्स वेकैंट रहती हैं ...**(व्यवधान)**... महोदय, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में लगातार यूजी सीट्स और पीजी सीट्स बढ़ाई जा रही हैं। ...**(व्यवधान)**... माननीय सदस्य ने जो वेकैंसी की चिंता जताई है, उसमें मैं अवगत कराना चाहती हूं कि पीजी में जो प्री-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल पोस्ट्स हैं, मैं कहूंगी कि क्योंकि उनमें अनविलिंगनेस रहती है, इसलिए स्टूडेंट्स उनको प्राइयॉरिटी नहीं देते हैं ...**(व्यवधान)**... इसीलिए वे सीट्स वेकैंट रह जाती हैं। इनमें ज्यादातर क्लिनिकल पोस्ट्स को चॉइस दी जाती है, जिसकी वजह से वे सीट्स भर जाती हैं। ...**(व्यवधान)**... लेकिन फिर भी सरकार ने लगातार प्रयास किया है और परसेंटाइल को और रिड्यूस किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें भाग लें। ...**(व्यवधान)**... मैं यह ज़रूर बताना चाहूंगी कि यह स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है कि वे कौन सी चॉइस करें, लेकिन हमारा प्रयास है कि लगातार सीट्स बढ़ें और इस दिशा में हमारी सरकार सीट्स बढ़ाने में कामयाब रही है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. R. Krishnaiah. ...(Interruptions)... Please put your question. ...*(Interruptions)*...

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: Respected Deputy Chairman, Sir, in NEET admissions, the OBC reservations are not implemented properly. ...*(Interruptions)*... Several times, it was brought to the notice of the Central Government, and, at the same time, to the notice of the Prime Minister also. ...*(Interruptions)*... The Government assured to give proper implementation of OBC reservations. ...*(Interruptions)*... But those who are coming through open competition by getting high marks, they are treating them as a 'reserved candidate.' ...*(Interruptions)*... It is against the judgement of the Supreme Court. ...*(Interruptions)*... In several judgements, the Supreme Court said that those who come through open competition, they may be treated as 'general candidate' and not 'reserved candidate'. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question. ...*(Interruptions)*... Question. ...*(Interruptions)*...

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. मनसुख मांडविया) : महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है। ...**(व्यवधान)**...

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ओबीसी, एससी-एसटी और ईबीसी आदि सभी आरक्षण को मानती है। ...(**व्यवधान**)... मेडिकल एजुकेशन में सभी आरक्षण की परसेंटेज के मुताबिक स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ दिया जाता है और किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ...(**व्यवधान**)... जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको ओबीसी में आरक्षण मिलता है और अगर एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट मेरिट में आता है तो उसको बाहर जाकर अपनी पोज़िशन मिलती है। ...(**व्यवधान**)... हमारी सरकार के द्वारा रिज़र्व कैटेगरी के हर स्टूडेंट को पूरी अपॉर्च्युनिटी मिलती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No point of order in Question Hour. Please. ...*(Interruptions)*... No point of order in Question Hour. You know that. Please follow the rules. ...*(Interruptions)*... Shri Subhas Chandra Bose Pilli. ...*(Interruptions)*...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, even after five rounds of admission counseling, approximately 1,456 NEET PG seats remain vacant for the 2021 academic session due to lack of interest among students in certain medical specializations since they are usually interested in opting for clinical streams only. ...*(Interruptions)*... I wish to ask the hon. Minister, through you, Sir, whether the Government has taken any steps to include these seats under clinical streams to address this issue.

डा. मनसुख मांडविया : उपसभापति महोदय, मेडिकल एजुकेशन में इंडिया के स्टूडेंट्स को इंडिया में ही अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें, इसलिए हम लगातार सीट्स बढ़ा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। सर, 2014 के पहले हमारे यहां कुल मिलाकर 387 मेडिकल सीट्स थीं, वे आज 67 परसेंट की बढ़ोतरी के साथ 648 हो गई हैं। इसके अलावा देश के स्टूडेंट्स को देश में पढ़ने की अपॉर्च्युनिटी मिले, इसलिए हमारे यहां लगातार सीटों में भी बढ़ोतरी हो रही है। पहले जो 44,000 सीट्स थीं, वे आज 96,000 हो गई हैं। वर्ष 2014 में पी.जी. की 31,000 सीट्स थीं, वे केवल आठ साल में बढ़कर 64,000 हो गई हैं, यानी इनमें 105 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। हम लगातार पी.जी. की सीट्स बढ़ाते हैं और यू.जी. की सीट्स भी बढ़ाते हैं। अभी जो क्वेश्चन था कि कई सीट्स खाली रह जाती हैं, वहां स्टूडेंट्स को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है-जैसे पी.जी. की सीट्स बढ़ती हैं, वैसे-वैसे स्टूडेंट्स को च्वाइस भी मिलने लगती है। जो नॉन-क्लीनिकल सीट्स हैं, उस पर मॉप-अप 1, 2, 3, 4 राउंड के बाद भी नॉन-क्लीनिकल सीट्स पर हमें स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं, तो वे सीट्स खाली हो जाती हैं। वह स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। हमने तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन रखा है। हमने इस बारे में कई स्टेप्स लिए। मेरे पास लास्ट बार इन्फॉर्मेशन आई थी और कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो सरकार ने सुपर स्पेशिएलिटी में जाकर मेरिट लिस्ट को ज़ीरो कर दिया था। जो भी स्टूडेंट जहां भी एडमिशन लेना चाहे, वह ले सके, लेकिन वह सीट

भी खाली छूट गई थी, क्योंकि स्टूडेंट का सेलेक्शन नहीं था, स्टूडेंट की पसंद की नहीं थी। अभी पी.जी. का राउंड चल रहा है, लेकिन हमने नीट का 25 परसेंट रिड्यूस किया और उसमें हम 5 परसेंट और कम कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को अपने यहां एडमिशन लेने की अपॉर्च्युनिटी मिले। अभी भी कई सीटें खाली रहने की संभावना है, क्योंकि स्टूडेंट की प्राइयॉरिटीज़ नहीं हैं, स्टूडेंट का सेलेक्शन नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं आना चाहे, तो उसके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। स्टूडेंट क्यों नहीं आना चाहते हैं? उनको अदर फैकल्टीज़ में अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, अदर कैटेगरीज़ में उनको अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है और उनको च्वाइस फिल करने में सुविधा हो गई है, इसलिए कई सीट्स खाली रहती हैं। हमारा प्रयास यह है कि कम से कम सीट्स खाली रहें। हम स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग भी करते हैं। उसके लिए जो नॉन-टेक्निकल पोस्ट्स हैं, नॉन-टेक्निकल सीट्स हैं, उनको भविष्य में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी मिले, उसके लिए हम एनएमसी के साथ कंसल्टेशन करके उसको रिवाइज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि उसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लें और सीट खाली न रहे।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी के बयान के समय डा. वी. शिवादासन की ओर से एक सवाल आया था, जिसका उत्तर कॉरपोरेट अफेयर्स से आना था। मैं कॉरपोरेट अफेयर्स के माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपको राज्य सभा की ओर से सवाल उपलब्ध करा दिया जाएगा। कृपया उसका जवाब भिजवा दीजिएगा।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपसभापति महोदय, जो सप्लीमेंटरी रह गया था।

श्री उपसभापति: जी, मंत्री जी, लास्ट सप्लीमेंटरी रह गया था। यदि आप अभी बता सकते हैं, तो बता दीजिए।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपसभापति महोदय, जैसा पहले जिक्र हो चुका है कि यह एक ब्रॉड-बेस्ड एक्टिविटी है। सीएसआर फंड कहां खर्च किया जाए, यह कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है। उसके दो जरिए हैं। एक तो अगले साल के अंदर जो एक्टिविटी रूट है, उसके अंदर करे और अगर वह एक एक्टिविटी रूट नहीं अपनाता है कि हमने फलां-फलां एक्टिविटी के अंदर पैसा खर्च करना है, तो दूसरा रूट है कि 6 महीने के अंदर-अंदर उसको अपना पैसा, जो सीएसआर का तय हो जाता है, उस सीएसआर के पैसे को, जो भारत सरकार की तरफ से कोष बनाए गए हैं, जिसमें पीएम केयर्स फंड है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है, इनके अंदर दे सकता है। यह बोर्ड की एक ब्रॉड-बेस्ड एक्टिविटी है। हमने भारत सरकार की तरफ से कंपनीज़ को दो बार चिट्ठी भी लिखी है, यह सन् 2014 और 2021 में लिखी गई है कि आप इसको इंटरप्रेटेशन के अंदर ब्रॉड तौर पर इंटरप्रेट करें और देश की भलाई के लिए जो काम हो सकता है, उसके अंदर इस पैसे को खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़रिया यह होगा। वह एक्टिविटी रूट का होगा या आपने इन कोष के अंदर, जैसे इसमें प्रधान मंत्री केयर्स फंड का भी ज़िक्र है, इसके मार्फत करना पड़ेगा।

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): सर, मैं इसमें एक प्वाइंट ऐड करना चाहती हूं। माननीय एमओएस एग्ज़ॉस्टिव्ली भूल गए, but I heard hon. Member, Sivadasan ji speak about as to why it can be given for certain Central Government schemes and not for Chief Minister's Relief Fund. I would like to gently remind the hon. Member, who is not here now, that that was very much discussed and thought about during the UPA Government regime in 2013, when they discussed the CSR as part of Companies Act and thought it fit not to do it in favour of the State Chief Minister's Relief Fund. So, that is part of what was decided by the previous Government. We have not said that it should not be given to the State Chief Ministers' Relief Fund. That was thought about, discussed and decided by the then UPA Government.

श्री उपसभापति : क्वेश्चन नम्बर 65. माननीय श्री देरेक ओब्राईन, प्रेज़ेंट नहीं हैं।

**65. [The questioner was absent.]*